बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

पत्रांक :- 169226 पटना, दिनांक :- 26/11/2013
ग्रा.वि.-7(आ) 39/2013

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुंगेर ।

विषयः- **मनरेगा अंतर्गत निबंधित मजदूर की कार्य स्थल पर मृत्यु हो जाने के उपरांत आश्रितों को मुआवजा देने के संबंध में ।**

प्रसंगः- जि0ग्रा0वि0अ0, मुंगेर का पत्रांक 2198 दिनांक 19.10.13

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हेतु निर्गत अद्यतन मार्गदर्शिका के कंडिका '12.5.5 xiii क' का कृपया संदर्भ लिया जाय, जो प्रासंगिक मामले में अनुग्रह भुगतान (Ex gratia Payment) से संबंधित है :-

"अनुग्रह भुगतान : कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अशक्ता के मामले में मनरेगा मजदूर को किया गया भुगतान ।"

यह भुगतान आकस्मिकता मद अंतर्गत दर्शाया गया है । अतएव ऐसे मामले में आवश्यक जांच कर शीघ्र हीं प्रखंड स्तर पर उपलब्ध 0.15 प्रतिशत आकस्मिकता राशि से इसका भुगतान करने का दायित्व संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया जाय । भुगतान की गई राशि/राशियों की मांग राज्य स्तर पर संधारित आकस्मिकता मद से की जा सकती है ।

साथ हीं असंगठित क्षेत्र कामगार मजदूर होने के कारण श्रम विभाग के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत देय राशि का भी भुगतान उक्त विभाग के संसाधनों से कराया जाय ।

कृपया, इसे सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा ।